न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 52/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/126

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
शिवराज चौधरी, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचामन।		श्री प्रखर गुर्जर, मैसर्स जैन बेकरी, ज्ञानमति फुड प्रोडक्टस, अंहिसा सर्किल, कुचामन सिटी, तहसील कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–

1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन निरीक्षक श्री शिवराज चौधरी।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री जय कुमार मोट।

–:आदेश:– **दिनांक : 30.07.2025**

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार है:–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 10.07.2025 को श्री उपेन्द्र ढ़ाका जिला रसद अधिकारी डीडवाना–कुचामन और श्री ओमेन्द्र कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक कुचामन–नावां द्वारा फर्म मैसर्स जैन बेकरी ज्ञानमति फुड प्रोडक्टस अंहिसा सर्किल, कुचामन सिटी पर आकस्मिक जाँच हेतु पहुंचे। मौके पर श्री प्रखर गुर्जर पुत्र श्री सुमेर निवासी कुचामन सिटी उपसिथत मिलें, जिन्होनें स्वयं को कर्मचारी होना बताया। श्री प्रखर गुर्जर पुत्र श्री सुमेर निवासी कुचामन सिटी द्वारा फर्म मैसर्स जैन बेकरी का निरीक्षण करवाया तथा मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर गैस पाईप के जरिये बर्नर से जुड़े पाये गये। मौके पर मैसर्स जैन बेकरी ज्ञानमति फुड प्रोडक्टस अंहिसा सर्किल तहसील कुचामन सिटी की तलाशी लेने पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाये गये घरेलू गैस सिलेण्डर इण्डेन कम्पनी के है। श्री प्रखर गुर्जर पुत्र श्री सुमेर से घरेलू गैस के भण्डारण एवं व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री प्रखर गुर्जर पुत्र श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

सुमेर द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	भरे सिलेण्डर का वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	शुद्ध गैस (कॉलम 4–5)
1	इण्डेन	808743	22 किलो	15.7 किलो	6.3 किग्रा
2	इण्डेन	884665	21 किलो	15.8 किलो	5.2 किग्रा

उपरोक्त 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर श्री मुकेश शर्मा प्रबन्धक मैसर्स बाबा रामदेव गैस सर्विस कुचामन को प्रकरण का निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार श्री प्रखर गुर्जर का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 02 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अप्रार्थी की ओर वकील श्री जय कुमार मोट ने जवाब व वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री प्रखर गुर्जर पुत्र श्री सुमेर द्वारा घरेलु गैस का व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। इनके पास घरेलु गैस के भण्डारण व व्यापारिक उपयोग के संबंध में किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये। इस पर मौके पर पाये गये घरेलु गैस सिलेण्डर कुल 02 को अवैध मानते हुए जब्त सरकार किया जाकर कब्जे में लिये गये। जब्त सुदा 02 घरेलु गैस सिलेण्डर को बाबा रामदेव गैस सर्विस कुचामन के प्रतिनिधि श्री मुकेश शर्मा को निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर प्राप्ति के हस्ताक्षर करवाये गये।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 02 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री प्रखर गुर्जर पुत्र श्री सुमेर के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त स[illegible] गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लि[illegible] है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति [illegible] द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही स[illegible] प्रतीत होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 02 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक **30.07.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

30.07.25

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2025.11.28 17:40:59 IST
Reason: SelfAttested